झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/पार्ट–I ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ सुबोध कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु सिमरा बाँध पोखर (जिला–गोडड्डा, प्रखंड–पोरैयाहाट, पंचायत–पसई, ग्राम–मड़वाबाँध) के जीर्णोद्वार कार्य के लिए रू॰ 10.67 लाख (दस लाख सड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु सिमरा बाँध पोखर (जिला–गोडड्डा, प्रखंड–पोरैयाहाट, पंचायत–पसई, ग्राम–मड़वाबाँध) के जीर्णोद्वार कार्य के लिए रू॰ 10.67 लाख (दस लाख सड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इस योजना में सिमरा बाँध पोखर का गहरीकरण, दो अदद् Outlet का निर्माण का प्रावधान है।

4 इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है।

(i) **इस योजना का कार्यान्वयन झालको द्वारा लाभुक समिति के माध्यम से कराया जाएगा।**

(ii) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जल उपभोक्ता समिति का गठन कराया जाना प्रबंध निदेशक झालको द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) इस योजना का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(iv) इस योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त संबधित क्षेत्रीय प्रबंधक झालको द्वारा ग्राम सभा से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाएगा कि **योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कराया गया है।**

5 इस योजना का पुनर्स्थापन कार्य से कुल 6 हे॰ (खरीफ 4 हे॰ एवं रब्बी 2 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्जीवित होगी। वर्त्तमान में योजना से 2 हे0 खरीफ क्षेत्र में सिंचन सुविधा उपलब्ध है। इस कार्य का इंसीडेस ऑफ कॉस्ट 177833/– प्रति हे0 है।

6 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2014–15 तक पूर्ण किया जाएगा।

7 इस कार्य पर होने वाला व्यय की राशि बजट "शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101 सतही जल–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन –05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एंव सुसज्जीकरण" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8 इस कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।

9 प्रबंध निदेशक झालको स्वीकृत कार्य हेतु आवंटित राशि को पी०एल० खाता में जमा करेंगे।

10 इन कार्यो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रबंध निदेशक झालकों होगें।

11 इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक झालकों एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग झारखंड राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

12 इस कार्य का समावेश वर्ष 2013–14 के स्वीकृत बजट में समेकित रूप से है।

13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:–यथोक्त।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा॰स्वी॰/124/2013/पार्ट–I ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा॰स्वी॰/124/2013/पार्ट–I ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा॰स्वी॰/124/2013/पार्ट–I ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई प्रक्षेत्र, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा॰स्वी॰/124/2013/पार्ट–I 65/13-14 प्र॰स्वी॰/राँची, दिनांक 17.01.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

17/01/14